बिहार सरकार
<u>स्वास्थ्य विभाग</u>

# अधिसूचना

**सं0सं0–9/आ0–06–07/2023(स्वा0) ...................... /पटना, दिनांकः–........................**

डॉ० रविन्द्र नारायण, तत्कालीन सिविल सर्जन, बॉका सम्प्रति अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के विरूद्ध मुख्यालय में प्रायः अनुपस्थित रहने, समीक्षात्मक बैठक में भाग नहीं लेने, विभागीय आदेश के विपरीत संविदागत चिकित्सक से कार्य लेकर राशि का अपव्यय करने एवं वित्त नियमावली के निहित प्रावधानों के विपरीत सामग्री का क्रय करने के आरोप में विभागीय संकल्प सं०–1176(9) दिनांक–21.11.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

**2.** विभागीय पीत पत्र सं०–704(3) दिनांक–11.12.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि डॉ० नारायण दिनांक–28.11.2024 को स्वर्गवासी हो चुके है।

**3.** अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं०–8811 दिनांक–18.07.2017 के प्रावधानों के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में डॉ० नारायण की मृत्यु होने के फलस्वरूप विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने एवं आरोप प्रकरण को संचिकास्त करने का विनिश्चय किया गया।

**4.** अतएव डॉ० (स्व0) रविन्द्र नारायण, तत्कालीन सिविल सर्जन, बॉका सम्प्रति अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं०–1176(9) दिनांक–21.11.2024 द्वारा गठित आरोप प्रकरण को संचिकास्त किया जाता है।

**5.** उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से**
**ह0/–**
**(उपेन्द्र राम)**
**सरकार के अवर सचिव।**

**ज्ञापांकः–9/आ0–06–07/2023(स्वा0) 30(9)..... /पटना, दिनांकः–09.01.25**

**प्रतिलिपिः**–महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, बॉका, कोषागार पदाधिकारी, बॉका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,बॉका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग/सभी अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि**–मो० रीता नारायण पत्नी स्व० (डॉ०) रविन्द्र नारायण, पता–सीता अपार्टमेंट, 304, खाजपुरा, एयरपोर्ट पटना–14 को सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**–प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उपेन्द्र
09/01/2025
**सरकार के अवर सचिव।**

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/आ0–06–01/2024(स्वा0) ........................ /पटना, दिनांकः–.........................

डॉ० रविन्द्र नारायण, तत्कालीन सिविल सर्जन, बॉका सम्प्रति अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के विरूद्ध विभागीय आदेश की अवहेलना करते हुए डॉ० नेहाल अहमद, चिकित्सा पदाधिकारी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धोरिया, बॉका में कार्य करने का आदेश देने तथा डॉ० रानी इन्द्रा भारती, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फलीडुमर, बॉका द्वारा समर्पित त्याग पत्र को अग्रसारित करने एवं उनके अनुरोध पर बिना विभाग के अनुमति प्राप्त किए कार्य करने का आदेश देने के आरोप में विभागीय संकल्प सं०–930(9) दिनांक–27.09.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. विभागीय पीत पत्र सं०–704(3) दिनांक–11.12 2024 द्वारा सूचित किया गया है कि डॉ० नारायण दिनांक–28.11.2024 को स्वर्गवासी हो चुके है।

3. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं०–8811 दिनांक–18.07.2017 के प्रावधानों के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में डॉ० नारायण की मृत्यु होने के फलस्वरूप विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने एवं आरोप प्रकरण को संचिकास्त करने का विनिश्चय किया गया।

4. अतएव डॉ० (स्व0) रविन्द्र नारायण, तत्कालीन सिविल सर्जन, बॉका सम्प्रति अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं०–930(9) दिनांक–27.09.2024 द्वारा गठित आरोप प्रकरण को संचिकास्त किया जाता है।

5. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ0–06–01/2024(स्वा0) 29(9) /पटना, दिनांकः– 09.01.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, बॉका, कोषागार पदाधिकारी, बाँका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,बाँका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग/सभी अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि–मो० रीता नारायण पत्नी स्व० (डॉ०) रविन्द्र नारायण, पता–सीता अपार्टमेंट, 304, खाजपुरा, एयरपोर्ट पटना–14 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

09/01/2025
सरकार के अवर सचिव।

(15)

**ज्ञापांकः–9/विविध–13–44/2022(स्वा0)** 24(9) **/पटना, दिनांकः–** 09.01.25

**प्रतिलिपिः**–महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/गया/मुजफ्फरपुर कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/गया/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/मगध प्रमंडल गया/तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर/गया/ मुजफ्फरपुर/संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र०) कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) बिहार सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग/सभी अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**–डॉ० अजय कुमार चौधरी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, मण्डल कारा, समस्तीपुर सम्प्रति अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र, शेरपुर, मुसहरी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**–प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**–आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

03/01/2025
**सरकार के अवर सचिव।**

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

सं0सं0–9 / विविध–13–44 / 2022(स्वा0) ...................... / पटना, दिनांकः–.....................................

अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना के पत्रांक–8099 दिनांक–28.07.2022 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में डॉ० अजय कुमार चौधरी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, मण्डल कारा, समस्तीपुर सम्प्रति मण्डल कारा, गया के विरूद्ध विभागीय आदेश की अवहेलना करते हुए कार्य के प्रति सचेत नहीं रहने, मण्डल कारा समस्तीपुर के पाकशाला में अप्राधिकृत रूप से दिनांक–09.03.2022 एवं दिनांक–01.06.2021 को प्रवेष कर वीडियों रिकार्डिंग कर मानक गुणवक्ता के निम्न स्तर का भोजन सामग्री के आधार पर संसीमित कैदियों को भडकाने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प सं०–178(9) दिनांक–31.01.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) में गठित आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया।

3. विभागीय पत्रांक–867(9) दिनांक–24.08.2023 द्वारा प्रमाणित आरोप के तहत डॉ० चौधरी से द्वितीय कारण–पृच्छा की गयी, जिसके आलोक में डॉ० चौधरी का प्रत्युत्तर सीधे स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित ना कर माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, सरकार के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। जो अनुशासनहीनता का प्रतीक है।

4. संचालन पदाधिकारी ने अपने निष्कर्ष में स्पष्ट किया गया है कि डॉ० अजय कुमार चौधरी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, मण्डल कारा, समस्तीपुर द्वारा वरीय पदाधिकारी के निर्देश के बावजूद भी अपने कर्त्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है तथा उनका व्यवहार कार्यशैली कारा जैसी संदेशनशील संस्था के लिए तथा ससीमित बंदियों को उकसाना, कारा प्रशासन के विरूद्ध षडयंत्र करना, इनके घोर अनुशासनहीनता को दर्शाता है। डॉ० चौधरी द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा प्रत्युत्तर में इस संबंध में कुछ नही कहा गया है। अतः डॉ० चौधरी दोषी प्रतीत होते है।

5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त डॉ० चौधरी के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(I) एवं (V) के तहत निन्दन एवं संचयी प्रभाव के बिना 01 (एक) वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित करने का दण्ड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

6. अतएव डॉ० अजय कुमार चौधरी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, मण्डल कारा, समस्तीपुर सम्प्रति मण्डल कारा, गया को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(I) एवं (V) के तहत निन्दन एवं संचयी प्रभाव के बिना 01 (एक) वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से**
**ह0 / –**
**(उपेन्द्र राम)**
**सरकार के अवर सचिव।**

03/01/2025 (कृ०पृ०उ०)

(15)

ज्ञापांकः—9/आ0—04—68/2023(स्वा0) 1371(9) /पटना, दिनांकः— 27.12.24

प्रतिलिपिः—महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, जमुई/कोषागार पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—क्षेत्रीय अपर—निदेशक, स्वास्थ्य सेवाये मुंगेर प्रमडल, मुंगेर/असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग/सभी अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—डॉ० कमल कृष्ण रंजन, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करहित, चकाई, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

26/12/2024

सरकार के अवर सचिव।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9 / आ0–04–68 / 2023(स्वा0) ..................... / पटना, दिनांकः–.................................

सिविल सर्जन, जमुई के पत्रांक–2201 दिनाक–22.12.2022 द्वारा प्रतिवेदन किया गया है कि डॉ० कमल कृष्ण रंजन, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करहित, चकाई, जमुई दिनांक–09.12.2021 से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित है। उक्त प्रतिवेदित आरोप के आलोक में डॉ० रंजन के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं०–514(9) दिनांक–17.05.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच–प्रतिवेदन (अधिगम) में अनुबंध में गठित आरोप को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। विभागीय पत्राक–241(9) दिनांक–15.02.2024 द्वारा डॉ० रंजन से द्वितीय कारण–पृच्छा की गयी जिसके आलोक में डॉ० रंजन का प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ।

3. डॉ० रंजन द्वारा अपने प्रत्युत्तर में दिनांक–19.12.2021 से 28.07.2022 तक स्वयं तथा अपनी माँ के ईलाज की बात कही है, मगर इनके द्वारा विधिवत छुट्टी नहीं लिया गया। अतः ये दोषी प्रतीत होते है। वर्तमान मे डॉ० रंजन विभागीय अधिसूचना सं०–1157(2) दिनांक–28.06.2023 के आलोक में दिनांक–01.07.2023 को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करहित, चकाई जमुई में योगदान देकर कार्यरत है। अतः डॉ० रजन के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोप तथा द्वितीय कारण–पृच्छा प्रतिवेदन की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि डॉ० रंजन बिना छुट्टी स्वीकृत कराये वे अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे है।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले के सम्यक समीक्षोपरान्त डॉ० रंजन के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(VI) के अधीन संचयी प्रभाव से 02 (दो) वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित करने एवं डॉ० रंजन को दिनांक–09.12.2021 से 30.06.2023 तक की अवधि को कार्य नहीं तो वेतन वेतन नहीं (No Work No Pay) के साथ इस अवधि की गणना प्रोन्नति, DACP आदि में लाभ नही दिया जाएगा का दण्ड अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

5. उक्त अधिरोपित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–3458 दिनांक–10.12.2024 द्वारा सहमति प्राप्त है।

6. अतएव डॉ० कमल कृष्ण रजन, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करहित, चकाई, जमुई को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(VI) के अधीन संचयी प्रभाव से 02 (दो) वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित करने एवं डॉ० कुमार को दिनांक–09.12.2021 से 30.06.2023 तक की अवधि को कार्य नहीं तो वेतन नहीं (No Work No Pay) के साथ इस अवधि की गणना प्रोन्नति, DACP आदि में लाभ नहीं दिए जाने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

7. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।
26/12/2024